

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 77] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1972/माघ 16, 1893

No. 77] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1972/MAGHA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 5th February 1972

S.O. 108(E).—Whereas the Central Government has, by its notified order in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade, No. S.O. 1027 dated the 6th March, 1971, issued under clause (b) sub-section (1) of section 18-A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised the Board of Management consisting of Sarva Shri R. V. Subrahmanian, M. Dhar and M. N. Datta to take over the management of the Industrial Undertaking known as M/s. Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereafter in this order referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18-E of the said Act, and in continuation of the order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 3746 dated the 5th October, 1971, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18-A.

SCHEDULE

Provisions of the companies Act, 1956 Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking

(1)	(2)
Section 166	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 210(1)	The provisions of this sub-section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. 1/14/71-P.S.Cell.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

का० आ० 108 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 1027, तारीख 6 मार्च, 1971 द्वारा सर्वश्री आर० बी० सुब्रह्मण्यन, एम० वर तथा एम० एन० दत्त से मिलकर बने प्रबंधक बोर्ड को मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है,

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 18-ड की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3746, तारीख 5 अक्तूबर, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची में के उन अपवादों, निर्बंधनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू रखेगी जिस प्रकार वह धारा 18-क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध अपवाद, निर्बंधन तथा सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए
सं० 1 में उल्लिखित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे

1	2
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 210 (1)	इस उपधारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[सं० 1/14/71-पी० सी० सेल]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।